

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.2656  
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

**खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पहल**

**2656. श्री एस. ज्ञानतिरावियम:**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या पहल किए गए हैं;
- (ख) राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु को इस क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) प्रसंस्कृत खाद्य के उत्पादन के विस्तार करने में इस क्षेत्र ने इस राशि का उपयोग करने में किस सीमा तक सफलता पाई है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री  
(सुश्री शोभा करंदलाजे)**

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) तमिलनाडु सहित देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला स्कीम प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई 14 वें एवं 15 वें वित्त आयोग चक्र के लिए 10600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को क्रेडिट लिंकड वित्तीय सहायता (पूजी सब्सिडी) प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है बल्कि मांग आधारित है और इसमें राज्य-वार कोई फंड आवंटन नहीं है। अब तक, योजनाओं के अंतर्गत कुल 832 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, इनमें से 54 परियोजनाएं तमिलनाडु में स्थित हैं।

मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रचालनरत है। योजना के अंतर्गत कुल 62712 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जिनमें से 8742 उद्यम तमिलनाडु में स्थित हैं। वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार धनराशि अनुबंध में दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। अब तक, तमिलनाडु में 427.90 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 14 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसमें 218 लाख मीट्रिक टन से अधिक संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता बनाई गई है, 32 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और पीएमकेएसवाई के माध्यम से 9.7 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और 2.33 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए 771 करोड़ रुपये पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पहल के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
अंडमान और निकोबार	1.82	1.92	0	0.13
आंध्र प्रदेश	34.98	23.02	11.53	34.70
अरुणाचल प्रदेश	0.15	7.34	0	6.59
असम	16.71	15.86	12.58	26.96
बिहार	9.05	13.59	0	66.51
चंडीगढ़	0.40	0.91	0.38	0.31
छत्तीसगढ़	7.04	8.85	0	7.69
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.40	0.89	0	0
दिल्ली	0.50	0.32	0.91	0
गोवा	0.41	3.10	1.25	2.08
गुजरात	16.55	8.47	0.00	7.02
हरियाणा	3.23	3.14	0	7.25
हिमाचल प्रदेश	5.19	4.92	3.28	57.12
जम्मू एवं कश्मीर	8.19	1.27	0	2.68
झारखंड	2.69	1.74	0	6.50
कर्नाटक	32.47	18.96	8.88	27.76
केरल	10.13	3.06	2.58	19.52
लद्दाख	0.45	0.93	1.55	0
लक्षद्वीप	0.40	0.61	0	0
मध्य प्रदेश	20.62	8.00	0	17.47
महाराष्ट्र	27.58	24.49	39.05	69.25
मणिपुर	3.14	3.27	0	0
मेघालय	2.69	3.04	0	0
मिजोरम	7.73	2.94	0	0
नगालैंड	6.64	5.90	0	0
ओडिशा	30.37	29.45	0	15.46
पुदुचेरी	1.16	0.79	0.59	1.46
पंजाब	5.76	6.73	0	4.24
राजस्थान	14.51	12.46	0	16.98
सिक्किम	5.12	1.47	1.62	0.16
तमिलनाडु	12.95	2.49	6.87	49.40
तेलंगाना	33.16	16.80	0	15.40
त्रिपुरा	3.11	10.23	0	0
उत्तर प्रदेश	36.29	23.36	1.19	79.55
उत्तराखंड	6.03	2.18	0	6.18
पश्चिम बंगाल	0	0	0	6.28

\* दिनांक 30.11.2023 तक